This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 16 मार्च, 2026 / 25 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2026

No. JSB-B/5/2025-Jal Shakti-B.—In supersession of all previous Notification(s) issued *vide* this Department Notification No. JSV-B(F) 7-2/2022, dated 17-02-2023 and No. JSV-B(F) 7-2-2024, dated 16-07-2025, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to modify the following

procedure/guidelines for publication of notice and processing of tenders in Jal Shakti Vibhag Himachal Pradesh as under :—

1. The procedure for publication and processing of tenders for works under various centrally sponsored programmes like PMKSY, FMBAP, JJM etc. shall be adhered to strictly as prescribed under such schemes.

   The guidelines for publication of notice and processing of tenders for all State budgeted and NABARD works (excluding PMKSY/JJM/FMBAP works) are as under .

2. The notice of works costing upto Rs.1.00 Lakh except Reckong-Peo, Pooh, Kaza, Keylong, Bharmour and Killar (Pangi) Division(s) of Jal Shakti Vibhag, where tender costing upto Rs. 5.00 Lakh shall be processed without press notice subject to the following conditions :—

   (i) A certificate of exigency/emergency would be given by the Executive Engineer(s).

   (ii) When sufficient reasons exist which indicate that it is in public interest

   (iii) Tenders will be uploaded on Department's website and notice board of the Jal Shakti Division and Sub-Division alongwith schedule of quantity.

   (iv) Notice Inviting Tender (NIT) register will be maintained and will be available for contractors for perusal during a time fixed on working days of tenders not invited through e-tendering.

   (v) Notice period will be 7 (seven) days

3. Where specific guidelines under various programmes are not laid down, tender notices in respect of works costing above Rs. 1.00 Lakh will be published on website of Himachal Pradesh e-Tenders (hptenders.gov.in), one national newspaper and one regional newspaper. The tender Notices will be issued on working days through web portal for publication in above mentioned newspapers. The notice period in such cases will be 7 (Seven) days (excluding day of publication & day of opening), which will be specifically mentioned in the notice. In case specific date is not mentioned for publication of tender notice, in that case the date on which it appears first either on Himachal Pradesh e-tender website or in Newspaper, will be the date from which the notice period will start. It should be ensured that the advertisement of tenders in newspaper be as brief as possible describing name of work , last date of submission and date of opening of tender along with reference of Himachal Pradesh e-tenders website (hptenders.gov.in) for the detailed tender notice and its terms & conditions.

4. The days for publication of notice and processing of tenders for all State budgeted and NABARD works (excluding PMKSY/JJM/FMBAP works) costing more than Rs. 1.00 Lakh is as under :—

1.	Days for online Publication of notice	7 days
2.	Letter of acceptance to be issued by Assistant Engineer/Executive Engineer.	Publication = 7 days For processing by AE/EE = 5 days Total = 12 days
3.	Letter of acceptance to be issued by	Publication = 7 days

	Superintending Engineer.	For processing by EE For processing by SE Total	= 3 days = 7days = 17 days
4.	Letter of acceptance to be issued by Chief Engineer.	Publication For processing by EE For processing by SE For processing by CE Total	= 7 days = 3 days = 5days = 7 days = 22 days
(Note: Period indicated above is working days)			

5. Notwithstanding if work/situation arise all of sudden and is of inescapable nature requiring immediate action that cannot brook any delay, which leads to emergent situation, the work may be awarded without call of tenders in rarest of rare case subject to following conditions :—

(i) The work awarded after call of spot quotations shall be construed to have been awarded without call of tenders.

(ii) Normally tenders should be called for all works. However, in case the work is to be awarded expeditiously, the prescribed period of short tender notice may be reduced by concerned Superintending Engineer to not less than 3 days (excluding day of publication & day of opening) and published on website of Himachal Pradesh e-Tender (hptenders.gov.in) irrespective of any estimated amount for such works.

(iii) The precise reasons should be recorded by the Engineer-in-Charge before dispensing with call of tenders.

(iv) The works of emergent/inescapable nature shall be as under :—

a. Natural calamities like Earthquakes, Blizzards, hurricanes/lightening, Tornados, Floods, sudden landslides and road sinking.

b. The causes like Explosions/Arson, fire, War, Sudden collapse of building/bridge, Terrorist attack, Mass strike affecting civic services such as water, sewer and power supply, spread of epidemic, works required for maintaining Law and Order.

c. Any other works apart from the above, declared as emergent the Government of Himachal Pradesh.

Such emergent works can be executed by issuing short tender notice and award of work or on hand receipt after collecting spot quotation or award without call of tenders (in rarest of rare case) as per power delegated to Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, officers. Spot quotation shall be collected by officers not below the level of Executive Engineer/Assistant Engineer.

The Engineer in Charge as per his/her competence shall proceed to carry out the necessary work and shall immediately intimate to the higher authority that the such expenditure is being incurred with approximate amount of liability. The competent office should initiate action for the administrative approval & expenditure sanction and accord Technical Sanction (if applicable) to regularize the liability.

These guidelines shall come into force from the date of publication in e-gazette of H.P. Government.

By order,

Secretary (Jal Shakti).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th February, 2024

No. FDS-A(3)-2/2022.—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (n) of Section 102 read with sub-section(3) of Section 33 and sub-section (3) of Section 46 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in supersession of all rules, regulations and orders in so far as they relate to matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules in respect of salaries and allowances payable to and other terms and conditions of, service of officers and other employees of the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission and District Consumer Disputes Redressal Commission, namely:—

PART-I

Brief Description of the Heading	No. of Rule	Particulars of the Rule

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.—(i) ["These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and Appeal and other conditions of service of officers and other employees of the State/District Commissions) Rules, 2024".][1]

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gaztte), Himachal Pradesh.

2. DEFINITIONS.—In these Rules, unless the context otherwise requires:—

(a) **"Act"** means the Consumer Protection Act, 2019;

(b) **"State Commission"** means the H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla;

(c) **"District Commissions**" mean the District Consumer Disputes Redressal Commissions established in the State of Himachal Pradesh;

(d) "**Administrative Department**" means Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh;

1. Substituted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026, published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

(e) **"President"** means the President of State Commission/District Commissions;

(f) **"Department of Finance"** means the Department of Finance of Himachal Pradesh Government;

(g) **"Disciplinary Authority"** means the authority competent to impose penalty on officers and other employees of the State/District Commissions as specified in **SCHEDULE-III** appended to these rules ;

(h) **"Other Employees**" means non-gazetted Group-B, C and D employee of the State /District Commissions;

(i) **"Governor"** means the Governor of Himachal Pradesh;

(j) **"Officers**" mean Officers appointed to, or borne on the Gazetted cadre/service of the State/District Commissions and officers appointed from amongst the members of staff of the State/District Commissions;

(k) **"Post"** means a post on the establishment of the State/District Commissions carrying a definite scale of pay and includes the posts specified in **Schedule-I** of these rules;

(l) **"Registrar"** means the Registrar of State /District Commissions;

(m) **"SCHEDULE"** means the SCHEDULE appended to these rules;

(n) **"Service"** means regular/adhoc/contract/daily wage basis service rendered in the State/District Commissions;

PART-II

3. STRENGTH OF OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE STATE/DISTRICT COMMISSIONS.—The posts of officers and the other employees consisting of the Posts in Group-A, B, C & D Services created by the State Government for the State/District Commissions shall be treated to have been created on the establishment of State Commission, as specified in the **SCHEDULE-I;**

4. ADMINISTRATION AND CONTROL OF THE STATE COMMISSION.— Subject to the superintendence and control of the President, State Commission, the Registrar/Joint Registrar/Asstt. Registrar shall administer the office of the State Commission and shall exercise full control over the officers and the other employees serving on the establishment of State Commission;

5. METHOD OF RECRUITMENT.—Recruitment to a post or group of posts shall be made as per the mode of appointment shown in **SCHEDULE-II**.

6. METHOD OF RECRUITMENT TO GROUP-A, B, C AND D POSTS OF THE STATE/DISTRICT COMMISSIONS.—The vacant posts in different cadres will be filled up by appointment/promotion subject to the eligibility and other criteria specified in the **SCHEDULE-II**.

7. APPOINTING AUTHORITY.—The President, State Commission shall be the Appointing Authority for all the posts, as per prevailing policy/instructions of the State Government and subsequent amendments, if any, carried out from time to time.

PART-III

8. PAY AND ALLOWANCES The persons borne on the establishment of the State/District Commissions shall draw such pay and allowances as are indicated in **SCHEDULE-I.**

9. ELIGIBILITY.—A person shall not be eligible for appointment in any post, unless he possesses all the necessary qualifications, academic or otherwise and also fulfils the requirements of such appointment prescribed in **SCHEDULE-II**:

Provided that in any particular case, where an officer or other employee, if based upon his/her seniority comes within the zone of consideration or promotion/selection to a higher post, but does not possess the requisite educational or academic or other qualifications prescribed for such post, he/she may be considered for such promotion after relaxation of the eligibility criteria with the approval of the State Government with respect to such qualification, if in the opinion of the President, State Commission, he/she possesses outstanding merit and ability and, looking to the nature of the duties of the higher post, is fully capable of performing such duties. For forming such an opinion, the President, State Commission may in a given situation, refer the case for assessment of the merit and the capability to perform the duties of higher post by such officer/employee to a Committee, to be constituted by him.

10. STOP-GAP APPOINTMENT.—Where it is necessary to fill up a vacancy in any post and undue delay is expected in appointing a duly qualified and experienced person, the State Government may appoint any officer or employee as a stop-gap arrangement in accordance with these rules to avoid administrative inconvenience.

11. SENIORITY.—The seniority of officers and other employees of State/District Consumer Commission shall be determined in accordance with the general principles of seniority adopted/issued by Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh from time to time.

12. OTHER CONDITIONS OF SERVICE.—The conditions of service of the officers and other employees of State/District Commissions in the matter of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, Age of superannuation, Pension and retiral benefits, medical facilities and other conditions of service for which no express provision or insufficient provision has been made in these rules, shall be regulated by the rules, regulations and orders as are applicable to the officers and other employees belonging to Group-A, B, C or D, as the case may be, of the corresponding posts or scales of pay stationed at those places under the State Government.

13. DESIRABLE QUALIFICATION FOR DIRECT RECRUITMENT.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State shall be desirable qualifications.

14. AGE FOR DIRECT RECRUITMENT.—*Age:* Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the State Government.

Note.—Age limit for direct recruits will be reckoned as on the 1st day of the year in which the posts are advertised by inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be;

15. **ESSENTIAL REQUIREMENT FOR DIRECT RECRUITMENT.—**A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

16. RESERVATION.—Appointment to a post shall be subject to orders regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the State Government from time to time.

PART-IV

17. POSTINGS AND TRANSFERS.—Notwithstanding the initial appointment of any person on any particular post or in any particular group or category, the President, State Commission, owing to exigencies of service or in the interest of administration may transfer any such person to any other post, or in any other group or category, in the State/District Commissions.

18. APPLICATION OF CENTRAL CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1965.—In disciplinary matters, the provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall apply and the Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in **SCHEDULE-III:**

Provided that no appeal shall lie from any order passed by the President under these rules.

PART-V

19. PROBATION.—(1) Persons appointed on the establishment of the State Commissions either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years from the date of their initial appointment as under :—

(i) **Direct Recruitment**:—

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) **Promotion**:—

Two years in the case of promotion from one Group to another *e.g.* from Group-B to Group-A.

In special circumstances, the President, State Commission may extend the period of probation with reasons to be recorded in writing.

(2) It shall be permissible with respect to any individual officer/other employees or group of such officers/other employees to provide for passing of any special examination(s) as condition precedent for completion of the probation period.

20. CONFIRMATION.—A probationer shall be confirmed substantively at the end of his/her probation period (or extended probation period) if his/her act and conduct during the period of probation has been found to be satisfactory in accordance with the simplified procedure laid down by Government of India, DOPT *vide* its O.M. dated 28-03-1988 adopted by the State Government in the Department of Personnel *vide* O.M. dated 14-06-1994.

21. **CONDUCT.—**(1) Every Officer and employee of the State/District Commissions shall maintain absolute integrity and devotion to duty at all times.

(2) No officer and employee of the State/ District Commissions shall act in a manner prejudicial to discipline, decorum and proper order in the office.

(3) The rules and orders for the time being in force and applicable to the Government Servants in the Government of Himachal Pradesh in regard to conduct shall apply *mutatis mutandis* to the officers and other employees of the State/District Commissions:

22. APPOINTMENT ON COMPASSIONATE GROUNDS.—Appointment on compassionate grounds shall be made/done as per prevailing policy of the State Government and subsequent amendments, if any, carried out therein from time to time.

23. DELEGATION.—he President, State Commission may delegate the powers vested in him under these Rules to an appropriate officer of the State/District Commissions.

24. POWER TO RELAX.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the President, State Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any Group or category of persons or posts.

25. INTERPRETATION.—If any dispute or question arises relating to the applicability or interpretation of these rules, the decision of the State Government thereon shall be final.

26. REMOVAL OF DIFFICULTIES.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the Government may by an order in writing do, what appears to be necessary for the purpose of removing the difficulty or amend these Rules.

27. SELECTION FOR APPOINTMENT TO THE POST BY CONTRACT APPOINTMENT.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post(s) will be made subject to the terms and conditions given in the Annexure "A" as per instructions/guidelines issued by the Department of Personnel from time to time.

28. RESIDUARY MATTER.—With regard to the matters not specifically covered by or under these rules, including the matters governing service conditions of the officers/and other employees, their conduct and discipline, the same shall be governed by law, rules and regulations or norms applicable to the State Government employees in general insofar as those are not inconsistent with or repugnant to these Rules.

By order,

R.D. NAZEEM, I.A.S.,
Principal Secretary (F, CS & CA).

SCHEDULE –I

Statement showing details of various posts on the establishment of Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla

Sl. No.	Name of the Post	Number of Sanctioned Post			Classification	Pay Matrix
		State Commi-ssion	District Commi-ssion	Total		
GROUP-A						
1.	Registrar	1	--	1	Group-A (Gazetted)	67400-201200 (L-21)
2.	Assistant Registrar	1	--	1	Group-A (Gazetted)	67400-201200 (L-21)
3	Superintendent Grade-I	1	--	1	Group-A (Gazetted)	48700-154300 (L-16)
4.	Private Secretary	1	--	1	Group-A (Gazetted)	48700-154300 (L-16)
5.	Reader (State Commission)	1	--	1	Group-A (Gazetted)	48700-154300 (L-16)
GROUP-B						
6.	Personal Assistant	1	4	5	Group-B (Non-Gazetted)	43000-136000 (L-12)
7.	Suptd. Grade-II	--	4	4	Group-B (Non-Gazetted)	43000-136000 (L-12)
8.	Sr. Scale Stenographer	4	--	4	Group-B (Non-Gazetted)	38500-122700 (L-11)
9.	Sr. Assistants/ Accountant/Reco-rd Keeper (State Commission) and Reader (District Commissions)	5	4	9	Group-B (Non-Gazetted)	38500-122700 (L-11)
GROUP-C						
10.	Civil Nazir	1	4	5	Group-C (Non-Gazetted)	35600-112800 (L-9)
11.	Record Keeper (District Commissions)	--	4	4	Group-C (Non-Gazetted)	25600-81200 (L-6)
12.	Jr. Assistant/ Clerk/JOA(IT)	7	12	19	Group-C (Non-Gazetted)	20600-65500 (L-4)

13.	Driver	3	4	7	Group-C (Non-Gazetted)	21300-67800 (L-5)
14.	Bailiff	2	4	6	Group-C (Non-Gazetted)	20200-64000 (L-3)
			GROUP-D			
15.	Process Server	2	4	6	Group-D (Non-Gazetted)	18000-56900 (L-1)
16.	Peon/ Chowkidar	8/1	12/4	20/5	Group-D (Non-Gazetted)	18000-56900 (L-1)
17.	Safai Karamchari-*cum*-Chowkidar (Daily wage)	--	2	2	Group-D (Non-Gazetted)	Wages are being paid as per Govt. rates prescribed from time to time
18.	Safai Karamchari (Part-time)	2	3	5	Group-D (Non-Gazetted)	Wages are being paid as per Govt. rates prescribed from time to time
19.	Safai Karamchari (Sweeper)	--	1	1	Group-D (Non-Gazetted)	18000-56900 (L-1)
					Note:-This post was created in favour of Smt. Neelam Kumari w.e.f. 20.07.2019 and shall stand abolished after her retirement as conveyed by the A.D. *vide* letter dated 12th April, 2022.	

Note.—The posts of Safai Karamchari and 05 Chowkidars shall stand abolished as and when the same are got vacated by the present incumbents. The sweeping and security services (security services as per policy precedent), in future, to be outsourced.

SCHEDULE-II

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Mode of appointment/Length of service	Qualification
1.	Registrar	1	From the HPAS Cadre.	
2.	Assistant Registrar	1	By promotion from amongst Superintendent Grade-I, Private Secretary and Reader (State Commission) who possesses four years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade in the ratio of 1:1:1 in the following	**Essential qualifications:** Graduation **Desirable qualification:**

			order- One Superintendent, one Private Secretary and one Reader.	Degree in Law
3.	Superintendent Grade-I	1	By promotion from amongst Superintendent Grade-II who possesses three years regular service or regular combined with continuous ad hoc service in the grade.	Graduation
4.	Private Secretary	1	By promotion from amongst Personal Assistant(s) possessing five years regular or regular combined with continuous adhoc service, in the grade.	Graduation
5.	Reader (State Commission)	1	By promotion from amongst Superintendent Grade-II who possesses three years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.	**Essential qualifications:** Graduation **Desirable qualification:** Degree in Law
6.	Superintendent Grade-II	4	By promotion from amongst Sr. Assistant(s) who possesses six years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.	Graduation
7.	Personal Assistant	5	By promotion from amongst Sr. Scale Stenographer(s) who possesses six years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.	Graduation
8.	Senior Scale Stenographer	4	By direct recruitment initially on contract basis as per **Schedule-IV (PART-A)** **OR** By direct recruitment on regular basis on the basis of limited proficiency test from amongst Jr. Scale Stenographer/Steno-Typist /JWs working in any Govt./Semi Govt. Department and having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade and possessing minimum speed of 100 w.p.m. in English shorthand and typing speed of 40 words per minute in English on Computer.	Graduation

9.	Senior Assistant/ Accountant/ Record Keeper (State Commission) and Reader (District Commissions)	9	By promotion from amongst Junior Assistant/Civil Nazir /JOA(IT)/ Clerk/Record Keeper (District Commission) who possesses seven years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, as clerk/Junior Assistant, Civil Nazir (State/District Commissions) or Junior Office Assistant(IT)/ and Record Keeper (District Commissions). For the purpose of promotion the ratio will be 1:1, { i.e. from the cadre of Junior Assistant/Senior most Clerk/Record Keeper (District Commissions):1 as per seniority} and one from Civil Nazir, until the Civil Nazir appointed in the pay scale of Rs.5000-8100 (old) now 35600-112800 (L-9) is promoted. Thereafter, the post of Civil Nazirs as well as Record Keeper (District Commissions) shall stand abolished and in place of Civil Nazir and Record Keeper (District Commissions) JOA (IT) shall be recruited in order to bring uniformity in the Institution. **Note:-** After promotion of Civil Nazirs and Record Keepers, there will be no ratio for promotion as Sr. Assistant and the post of Sr. Assistant will be filled up from amongst Clerks/Junior Office Assistants as per combined seniority**.**	Graduation
10.	Civil Nazir	5	After promotion of existing five Civil Nazirs appointed directly in the pay scale of Rs.5000-8100 further revised to 10300-34800+3200 GP (old) now 35600-112800 (L-9) to the post of Sr. Assistant, in place of resultant vacancy of each Civil Nazir, JOA(IT) will be recruited on the basis of competitive examination as per **Schedule-IV (PART-B)**	Graduation
11.	Record Keeper (District Commissions)	4	After promotion of existing four Record Keeper (District Commissions) in the pay scale of Rs.5910-20200+Rs.2400/-GP (old) now 25600-81200 (L-6) to the post of Sr. Assistant, in place of resultant vacancy of each Record Keeper,	Graduation

			JOA(IT) will be recruited on the basis of competitive examination as per **Schedule-IV (PART-B).**	
12.	JOA (IT)/Clerk	19	80% by direct recruitment on the basis of competitive examination as per **Schedule-IV (PART-B {A})** 20% of the cadre posts by way of selection from amongst the Bailiffs/ Process Servers / Peons /[……..][2] working on the establishment of State Commission having educational qualification with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the respective cadres subject to the eligibility on the basis of ACRs of last five years, qualifying written examination and typing test as per procedure prescribed in **Schedule-IV (PART-B {B})** [failing which by direct recruitment on regular basis or recruitment by regularization, as the case may be, on the basis of competitive examination as per Schedule–IV (PART-B {A}][3]	Graduation
13.	Driver	7	By direct recruitment initially on contract basis, on the basis of written/proficiency test as per **Schedule-IV (PART-C)**	+2 as educational qualification and having a valid driving licence to drive light medium or heavy vehicles.
14.	Bailiff	6	[By promotion from amongst Process Servers having three years regular service or regular combined with continuous ad hoc service, if any, failing which by direct recruitment on regular basis or recruitment by regularization, as the case may be as per procedure prescribed in Schedule-IV (Part-D)][4]	+2 educational qualification

2. Deleted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

3. Inserted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

4. Substituted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

15.	Process Server	6	A	50% by direct recruitment initially on contract basis as per procedure prescribed in **Schedule-IV (PART-D)**	+2 educational Qualification
			B	50% by promotion from amongst the Peon/[…….][5] having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the respective cadres.	+2 educational Qualification
16.	Peon/[…….][6] (Regular/Daily wage) and Part-Time Safai Karamchari	25		By direct recruitment on the basis of written test as prescribed in **Schedule-IV (PART-E)**	Matric

Note:1—The service conditions of the contract employee will be governed by as specified in the **Annexure-A** or as prescribed by the Department of Personnel from time to time.

Note:2—The President, HP State Consumer Disputes Redressal Commission ensure the pay level of the all the categories in accordance of the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022 .

SCHEDULE-III

Description of post	Competent authority to impose penalties with reference to items No.(i) to (iv) of Rule 11 of CCS (CC&A) Rules, 1965	Appellate authority in respect of penalties specified in Column No. 2	Competent authority to impose penalties with reference to items No.(v) to (ix) of Rule 11 of the CCS (CC &A) RULES, 1965	Appellate authority in respect of penalties specified in Column No. 4
1	2	3	4	5
Group-A Officer	President, State Commission	President, State Commission	President, State Commission	President, National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
Group-B Officers	President, State Commission	President, State Commission	President, State Commission	----
Group-C	President, State Commission	President, State Commission	President, State Commission	----
Group-D	President, State Commission	President, State Commission	President, State Commission	----

5. Deleted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

6 Deleted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

SCHEDULE-IV

PART-A

PROFICIENCY TEST FOR THE POST OF SENIOR SCALE STENOGRAPHER

Candidates must be having speed of **100 W.P.M.**, in English Stenography and accurate transcription of the matter dictated within a period of 5 times to the time allotted for dictation and typing speed, in English, at **50 W.P.M**., on computers, wherefor a separate test shall be held.

Provided that only **10%** of the mistakes in transcribing the dictated matter and typed matter in typing test shall be allowed. In other words the candidates committing more than **10%** mistakes in transcribing the dictated matter and the typed matter in typing test shall be declared as unqualified:

Provided further that taking into consideration any administrative exigency, Hon'ble the President, in his discretion, may grant exemption in the aforesaid speed limit either, in typing or in transcription or in both and also in the mistakes as referred to above.

Note:- The time for dictation as well as typing test shall be ten **(10)** minutes each.

PART-B

WRITTEN TEST FOR THE POST OF JUNIOR OFFICE ASSISTANT (I.T.)

The competitive examination for filling up the post(s) of Junior Office Assistants (I.T.) (Direct Recruitment–Contract/Regular basis) shall be conducted in the manner prescribed herein below:

A.	It shall be in English/Hindi Language consisting of MCQ type questions of 70 marks of General Knowledge and subjective type questions of 30 marks comprising translation Hindi to English and English to Hindi, articles, prepositions, etc. Each MCQ shall carry one mark and shall have four choices, out of which the correct answer shall have to be given by the candidate in the Question-*cum*-Answer Booklet. The test shall be of two hours duration. **Note:—**The candidates qualifying the written test as mentioned above shall be called for typing test, in the ratio of **1:3** which means three candidates against one advertised vacancy, to be conducted on computer in English. The candidates shall have to qualify typing test at **25 W.P.M**., in English on computers, provided that only 10% of the mistake in typing test shall be permitted which in other words means that if any candidate commits more than thirty (30) mistakes then notwithstanding the fact that he/she has successfully typed out the given passage/material with the speed of **25 w.p.m.** still he/she shall be declared as unqualified. **Note – 1:** The time for typing test shall be **ten (10)** minutes. **Note –2:** The typing test shall be merely qualifying and marks obtained therein shall not be counted for determining the final merit.

B	**BY PROMOTION** Written Test, Typing Test and Assessment of ACRs for filling the posts of JOA(IT) (Departmental Quota from Bailiffs, Process Servers and other Class-IV officials [except chowkidar][7]) working on the establishment of State Commission subject to eligibility to be considered for promotion as provided under these Rules. The candidate shall have to qualify written as well as typing test.

PART-C

WRITTEN TEST FOR THE POST OF DRIVER (REGULAR/CONTRACT BASIS / DAILY WAGE)

(a)	**Written Test**	**Maximum Marks : 60** **Time : 1 Hours**
	A Written Test (in English/Hindi) consisting of M.C.Qs and subjective type questions shall be conducted. The candidate shall have to give correct answers in such a manner as suggested in Question-*cum*-Answer Booklet which shall be provided to the candidate at the allotted Examination Centre.	
(b)	**Proficiency Test**	**Marks : 20**
	Proficiency Test of total **20** marks to be held to judge the practical ability of the driver to drive the vehicle and the committee consisting of Technical Officers/officials constituted by the President, State Commission shall allot marks in the proficiency test out of twenty **(20)** as per the performance of the candidate in the driving test. **Note.—**Final merit list shall be drawn on the basis of marks obtained in the written and proficiency tests.	

PART-D

[WRITTEN TEST FOR THE POST OF BAILIFF AND PROCESS SERVER (REGULAR/BY REGULARIZATION, AS THE CASE MAY BE)][8].

(a)	**Screening Test**	**Maximum Marks : 50** **Time : One Hour**
	A Written Test (in English and Hindi) consisting of MCQs and subjective type questions shall be conducted. The candidate shall have to give correct answers in such a manner as suggested in Question-*cum*-Answer Booklet, which shall be provided to the candidate at the allotted Examination Centre. **Note:—**Final merit list shall be drawn on the basis of marks obtained in the written test.	

7. Inserted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

8. Substituted *vide* Notification No.FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

PART-E

(a) Procedure for Awarding Marks in an interview for the Post of Peon/[…….][9]/Safai Karamchari/Mali etc., [on regular basis or recruitment by regularization as the case may be][10] /Daily Wage basis or Co-terminus basis/Part-time basis.

Sl. No.	Description of the Field	Marks
(i)	Educational Qualification	5 Marks
(ii)	Other Parameters	5 Marks
(iii)	Written Test	10 Marks

Note.—The Hon'ble President, State Commission being a Judge of the High Court (sitting/retired) shall at his/her discretion can recommend for appointment of one/two Peons of his/her choice subject to availability of posts on co-terminus basis and his/her/their service will also be co-terminus with the tenure of recommending President, unless regularized. This facility is being provided in view of the judgment passed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 78 of 2000 titled Justice P.N. Nag (Retd.) Versus State of Himachal Pradesh and another on dated 27-09-2002.

(b) Criterion for awarding marks for Educational Qualifications

Sl. No.	Description of the Field	Marks to be awarded
(i)	Matriculate or equivalent	3
(ii)	Matriculate or equivalent with second division	4
(iii)	Matriculate or equivalent with first division	5

(c) Criterion for awarding marks of other parameters

(i)	Non-employment certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government job issued by the competent authority.	1
(ii)	Certificate of Landless family/family having land less than one hectare land issued by the concerned Revenue Authority.	1
(iii)	Certificate belonging to notified Backward Area or Panchayat as the case may be issued by the concerned Competent Authority.	1
(iv)	Experience of driving etc.	2

(d) Written Test **10**

9. Deleted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

10. Substituted *vide* Notification No. FDS-A(3)-2/2022-1 The Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026, *w.e.f.* 20.02.2026 published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 25.02.2026.

ANNEXURE: A

Form of contract/agreement to be executed between the _____(designation of the post) and the Government of Himachal Pradesh through _____(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____between Sh/Smt. _____s/o d/o Shri _____ r/o_____, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as _____on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as _____ for a period of one year commencing on day of _____and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned head of office shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____ /-per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

7. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part official at the minimum of pay scale.

8. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)
   (Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)
   (Signature of the SECOND PARTY)

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 10 मार्च, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–28 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) को दिनांक 07–03–2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(डॉ0 विवेक ज्योति),
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 5.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 32 का प्रतिस्थापन।

2026 का अधिनियम संख्यांक 5.

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मार्च, 2026 को यथाअनुमोदित)

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम**.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 32 का प्रतिस्थापन**.––अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> **"32. वित्त समिति.––**"सरकार के (वित्त सचिव) की अध्यक्षता में एक वित्त समिति होगी। इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में विहित की जाए। पदों के सृजन, उन्नयन या भरने, भर्ती और प्रोन्नति नियमों की विरचना, वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बधित समस्त वित्तीय और सेवा मामले सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त समिति, ऐसे मामलों पर अपनी सिफारिशें सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।"

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2026.

THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Substitution of section 32.

Act No. 5 of 2026.

THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MARCH, 2026)

AN

ACT

further to amend the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017 (Act No. 11 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh (Amendment) Act, 2024.

2. Substitution of section 32.—For section 32 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

> **"32. The Finance Committee.—**The Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government. Its constitution, the term of office of its members other than *ex-officio* members shall be such, as may be prescribed by the statutes. All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee. The Finance Committee shall submit its recommendations on such matters to the Government for consideration and approval.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 मार्च, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–27 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती

और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को दिनांक 07–03–2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
(डॉ0 विवेक ज्योति),
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

———————

2026 का अधिनियम संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 10 का संशोधन।

———————

2026 का अधिनियम संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मार्च, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम**.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 10 का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 की धारा 10 की उप–धारा (1) में, ''पूर्व प्रकाशन के पश्चात्'' चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 10.

Act No. 6 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MARCH, 2026)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024(Act No.23 of 2025).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024, in sub-section (1), the sign and words "and after previous publication" shall be omitted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 मार्च, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–26 / 2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को दिनांक 07–03–2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने

के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

डा0 विवेक ज्योति,
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 14 का संशोधन।
4. धारा 24 का संशोधन।
5. धारा 66 का संशोधन।
6. धारा 82 का संशोधन।
7. धारा 83 का संशोधन।
8. धारा 111 का संशोधन।
9. धारा 113 का संशोधन।
10. धारा 114 का संशोधन।
11. धारा 115 का संशोधन।
12. धारा 124 का संशोधन।
13. धारा 125 का संशोधन।
14. धारा 126 का संशोधन।
15. धारा 127 का संशोधन।
16. धारा 128 का संशोधन।
17. धारा 129 का संशोधन।
18. धारा 133 का संशोधन।
19. धारा 134 का संशोधन।
20. धारा 135 का संशोधन।
21. धारा 140 का संशोधन।
22. धारा 141 का संशोधन।
23. धारा 143 का संशोधन।
24. धारा 148 का संशोधन।
25. धारा 149 का संशोधन।
26. धारा 150 का संशोधन।
27. धारा 150–क का संशोधन।
28.. धारा 152 का संशोधन।
29. धारा 159 का संशोधन।
30. धारा 162 का संशोधन।
31. धारा 166 का संशोधन।

32. धारा 172 का संशोधन।
33. धारा 173 का संशोधन।
34. धारा 175 का संशोधन।
35. धारा 180 का संशोधन।
36. धारा 183 का संशोधन।
37. धारा 184 का संशोधन।
38. धारा 191 का संशोधन।
39. धारा 192 का संशोधन।
40. धारा 193 का संशोधन।
41. धारा 196 का संशोधन।
42. धारा 197 का संशोधन।
43. धारा 198 का संशोधन।
44. धारा 199 का संशोधन।
45. धारा 200 का संशोधन।
46. धारा 207 का संशोधन।
47. धारा 211 का संशोधन।
48. धारा 216 का संशोधन।
49. धारा 221 का संशोधन।
50. धारा 227 का संशोधन।
51. धारा 240 का संशोधन।
52. धारा 255 का संशोधन।
53. धारा 271 का संशोधन।
54. धारा 304–क का संशोधन।
55. धारा 304–ख का संशोधन।
56. धारा 304–ग का संशोधन।
57. धारा 304–घ का संशोधन।
58. धारा 304–ङ का संशोधन।
59. धारा 304–च का संशोधन।
60. धारा 304–छ का संशोधन।
61. धारा 304–ज का संशोधन।
62. धारा 304–झ का संशोधन।
63. धारा 304–ट का संशोधन।
64. धारा 304–ठ का संशोधन।
65. धारा 304–ड का संशोधन।
66. धारा 304–ढ का संशोधन।
67. धारा 304–ण का संशोधन।
68. धारा 304–थ का संशोधन।
69. धारा 304–द का संशोधन।
70. धारा 304–ध का संशोधन।

————————

2026 का अधिनियम संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मार्च, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''(1) ''लेखा परीक्षा अभिकरण'' से, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है, जिसके तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसे नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नगरपालिकाओं की सुसंगत सूचनाओं और अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त होगी;''।

3. **धारा 14 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

> ''(4) जब किसी नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र का कोई भाग, उसकी पदावधि के दौरान, नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन नगर निगम घोषित किया जाता है, तो ऐसी घोषणा, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषद् की कालावधि की समाप्ति या इस अधिनियम की धारा 271 के अंतर्गत उसके विघटन तक, नगरपालिका परिषद् के सदस्यों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगी।''।

4. **धारा 24 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपायुक्त, त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, यदि उसे वापिस नहीं लिया गया हो, त्यागपत्र को स्वीकार करेगा। त्यागपत्र की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात् उपायुक्त उक्त रिक्ति की सूचना निदेशक तथा सरकार को प्रेषित करेगा।''।

5. **धारा 66 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 66 में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '';'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

> ''परन्तु यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोक्ता प्रभारों की वसूली नहीं की गई हो, तो उक्त प्रभारों को, उस पर लगने वाले जुर्माने सहित, संपत्ति कर के बकाया के रूप में जोड़ा जाएगा।''।

6. **धारा 82 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

7. **धारा 83 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रूपए होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पाँच सौ रूपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।''।

8. धारा 111 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (4) में, ''पाँच सौ रूपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 113 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 113 के खण्ड (ख) में, ''पाँच सौ रूपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 114 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 115 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 124 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रूपए होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पाँच सौ रूपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

13. धारा 125 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (4) में, ''एक हजार रूपए और अधिक से अधिक चार हजार रूपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, एक सौ रूपए'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रूपए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 126 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''दो हजार पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दस हजार रूपए होगा और यदि भंग जारी रहता है, तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 127 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपए हो सकती है'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रूपए हो सकती है'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

16. धारा 128 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, ''एक हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दौ सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

17. धारा 129 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

18. धारा 133 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

19. धारा 134 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 134 में, ''दो हजार पाँच सौ रूपए से कम नहीं होगा और दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए से कम नही होगा और पाँच हजार रूपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएँगे।

20. धारा 135 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 135 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

21. धारा 140 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

22. धारा 141 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (2) में, ''दो हजार रूपए तक का किन्तु पाँच सौ रूपए से कम नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रूपए तक का किन्तु दो हजार रूपए से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएँगे।

23. धारा 143 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 143 के खण्ड (ग) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

24. धारा 148 का संशोधन.–– मूल अधिनियम की धारा 148 के खण्ड (ग) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

25. धारा 149 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 149 में,–

(क) उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रूपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे; और

(ख) उपधारा (3) में, ''जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रूपए से कम नहीं होगा और पाँच हजार रूपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

26. धारा 150 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''एक हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

27. धारा 150–क का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 150–क की उपधारा (4) में, ''प्रथम अपराध के लिए पाँच सौ रूपए तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए सात सौ रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम अपराध के लिए दो हजार रूपए तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

28. धारा 152 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, ''जुर्माना से, जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जुर्माना से, जो कम से कम दो हजार रूपए और जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

29. धारा 159 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 159 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए तक होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

30. धारा 162 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 162 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

31. धारा 166 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) में, '' पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए तक होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएँगे।

32. धारा 172 का संशोधन.–– मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

33. धारा 173 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (4) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएँगे।

34. धारा 175 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 175 की उपधारा (3) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रूपए होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पाँच सौ रूपए होगा'' शब्द रखे जाएँगे।

35. धारा 180 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''एक सौ रूपए और अधिक से अधिक चार हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

36. धारा 183 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

37. धारा 184 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

38. धारा 191 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

39. धारा 192 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

40. धारा 193 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

41. धारा 196 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

42. धारा 197 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) और (2) में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्द जहां कहीं भी आते हैं; के स्थान पर क्रमशः ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

43. धारा 198 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पाँच सौ रूपए से अन्यून और दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए से अन्यून और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

44. धारा 199 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

45. धारा 200 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

46. धारा 207 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 207 में, ''एक हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पाँच सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

47. धारा 211 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (5) में, ''पाँच सौ रूपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए से अन्यून और जो पाँच हजार रूपए तक हो सकेगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

48. धारा 216 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 216 की उपधारा (1) में, ''पाँच हजार रूपए होगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, एक सौ रूपए'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रूपए से अन्यून और जो पाँच हजार रूपए तक हो सकेगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, पाँच सौ रूपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

49. धारा 221 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3) के खण्ड (i) में, ''पाँच हजार रूपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रूपए से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

50. धारा 227 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 227 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

51. धारा 240 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पाँच सौ रूपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

52. धारा 255 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 255 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) नगरपालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) और राज्य लेखापरीक्षा विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी, जिनके पास नगरपालिका की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक पहुंच होगी।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(1क) नगरपालिका के वार्षिक खाते राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे:

परन्तु नगरपालिका के खाते की लेखा परीक्षा प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के समग्र तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।''; और

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ–साथ राज्य लेखा परीक्षा विभाग की वार्षिक रिर्पोट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।''।

53. धारा 271 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जब इस कारण से कि नगर परिषद के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को नगर निगम के रूप में घोषित किया गया है या विद्यमान नगर निगम में शामिल किया गया है, तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से नगर परिषद को भंग कर देगी।

(7) उप–धारा (6) के अधीन भंग की गई नगर परिषद् के सदस्य सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे।''

54. धारा 304–क का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–क में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।

55. धारा 304–ख का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ख की उपधारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।

56. धारा 304–ग का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ग की उपधारा (1) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

57. धारा 304–घ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–घ की उपधारा (4) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

58. धारा 304–ङ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ङ की उपधारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

59. धारा 304–च का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–च की उपधारा (3) में, ''कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

60. धारा 304–छ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–छ की उपधारा (2) में, ''जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रूपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रूपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

61. धारा 304–ज का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ज की उपधारा (2) में, ''कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

62. धारा 304–झ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–झ की उपधारा (3) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

63. धारा 304–ट का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ट में, ''कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

64. धारा 304–ठ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ठ की उपधारा (1) में, ''जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रूपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रूपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

65. धारा 304–ड का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ड में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

66. धारा 304–ढ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ढ की उपधारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

67. धारा 304–ण का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ण की उपधारा (1) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

68. धारा 304–थ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–थ की उपधारा (3) में ''जो पाँच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रूपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रूपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

69. धारा 304–द का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–द में,–

(i) सीमांत(पार्श्व) शीर्षक में, ''मतदान के दिन'' शब्दों के पश्चात् ''और गणना दिवस'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (1) में, ''मतदान की समाप्ति'' शब्दों के पश्चात् ''और गणना दिवस पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे।

(iii) उपधारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

70. धारा 304–ध का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 304–ध की उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (क) में ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ख) में ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (2nd AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.

3. Amendment of section 14.
4. Amendment of section 24.
5. Amendment of section 66.
6. Amendment of section 82.
7. Amendment of section 83.
8. Amendment of section 111.
9. Amendment of section 113.
10. Amendment of section 114.
11. Amendment of section 115.
12. Amendment of section 124.
13. Amendment of section 125.
14. Amendment of section 126.
15. Amendment of section 127.
16. Amendment of section 128.
17. Amendment of section 129.
18. Amendment of section 133.
19. Amendment of section 134.
20. Amendment of section 135
21. Amendment of section 140.
22. Amendment of section 141.
23. Amendment of section 143.
24. Amendment of section 148.
25. Amendment of section 149.
26. Amendment of section 150.
27. Amendment of section 150-A.
28. Amendment of section 152.
29. Amendment of section 159.
30. Amendment of section 162.
31. Amendment of section 166.
32. Amendment of section 172.
33. Amendment of section 173.
34. Amendment of section 175.
35. Amendment of section 180.
36. Amendment of section 183.
37. Amendment of section 184.
38. Amendment of section 191.
39. Amendment of section 192.
40. Amendment of section 193.
41. Amendment of section 196.
42. Amendment of section 197.
43. Amendment of section 198.
44. Amendment of section 199.
45. Amendment of section 200.
46. Amendment of section 207.
47. Amendment of section 211.
48. Amendment of section 216.
49. Amendment of section 221.
50. Amendment of section 227.
51. Amendment of section 240.
52. Amendment of section 255.
53. Amendment of section 271.
54. Amendment of section 304-A.

55. Amendment of section 304-B.
56. Amendment of section 304-C.
57. Amendment of section 304-D.
58. Amendment of section 304-E.
59. Amendment of section 304-F.
60. Amendment of section 304-G.
61. Amendment of section 304-H.
62. Amendment of section 304-I.
63. Amendment of section 304-K.
64. Amendment of section 304-L.
65. Amendment of section 304-M.
66. Amendment of section 304-N.
67. Amendment of section 304-O.
68. Amendment of section 304-Q.
69. Amendment of section 304-R.
70. Amendment of section 304-S.

Act No. 7 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (2nd AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MARCH, 2026)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (2nd Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act''), before clause 2, the following clause shall be inserted, namely:—

"(1) "Audit Agency" means Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh, under whose technical guidance and supervision the audit of the accounts of Municipalities shall be conducted, by Director, the Himachal Pradesh State Audit Department who shall have the access to relevant information and record of municipalities for conducting audit of accounts of Municipalities;".

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:—

"(4) When a part of the area of any Municipal Council, during its term, is declared to be a Municipal Corporation under sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) the said declaration shall not affect the term of the members of Municipal Council, till the expiration of the duration of the Municipal Council(s) specified in sub-section (1) or its dissolution under section 271 of this Act.".

4. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:—

"Provided that the President or Vice-President or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall accept the resignation within 15 days from the date of tendering the resignation, unless withdrawn. Immediately after acceptance of resignation, the Deputy Commissioner shall cause to intimate the vacancy to the Director and to the Government.".

5. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that if the user charges during the previous year is not realised, the same alongwith fine thereof shall be added as arrear of Property Tax.".

6. Amendment of section 82.—In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

7. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

8. Amendment of section 111.—In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

9. Amendment of section 113.—In section 113 of the principal Act, after clause (b), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 114.—In section 114 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

11. Amendment of section 115.—In section 115 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

12. Amendment of section 124.—In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

13. Amendment of section 125.—In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees", the words " two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

14. Amendment of section 126.—In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "two thousand five hundred rupees and more than ten thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

15. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in case of continuing offence to a further penalty of five hundred rupees" shall be substituted.

16. Amendment of section 128.—In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

17. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign " five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

18. Amendment of section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees", the words and signs "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when a notice has been issued, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

19. Amendment of section 134.—In section 134 of the principal Act, for the words "two thousand five hundred rupees and not more than ten thousand rupees", the words "two thousand rupees and not more than five thousand rupees" shall be substituted.

20. Amendment of section 135.—In section 135 of the principal Act, for the words " five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

21. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

22. Amendment of section 141.—In section 141 of the principal Act, in sub-section (2) , for the words "two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees", the words "five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees" shall be substituted.

23. Amendment of section 143.—In section 143 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

24. Amendment of section 148.—In section 148 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

25. Amendment of section 149.—In section 149 of the principal act,—

(a) in sub-section (1), for the words "five hundred and of one thousand rupees", the words "two thousand rupees and of five thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the words "may extend to one thousand rupees", the words "shall not be less than two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

26. Amendment of section 150.—In section 150 of the principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.

27. Amendment of section 150-A.—In section 150-A of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees for the first offence and seven hundred rupees", the words "two thousand rupees for the first offence and five thousand rupees" shall be substituted.

28. Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "fine which may extend to five thousand rupees", the words "fine not less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

29. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

30. Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

31. Amendment of section 166.—In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

33. Amendment of section 173.—In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

34. Amendment of section 175.—In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

35. Amendment of section 180.—In section 180 of the principal Act, for the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

36. Amendment of section 183.—In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

37. Amendment of section 184.—In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

38. Amendment of section 191.—In section 191 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

39. Amendment of section 192.—In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

40. Amendment of section 193.—In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

41. In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

42. Amendment of section 197.—In section 197 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", wherever occurs, the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted respectively.

43. Amendment of section 198.—In section 198 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

44. Amendment of section 199.—In section 199 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

45. Amendment of section 200.—In section 200 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

46. Amendment of section 207.—In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

47. Amendment of section 211.—In section 211 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "may extend to five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" , the words and signs "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

48. Amendment of section 216.—In section 216 of the principal Act, for the words and sign "shall extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

49. Amendment of section 221.—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "may extend to five thousand rupees", the words "shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to twenty thousand rupees" shall be substituted.

50. Amendment of section 227.—In section 227 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

51. Amendment of section 240.—In section 240 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

52. Amendment of section 255.—In section 255 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The accounts of municipality shall be audited by the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh and the Director of State Audit Department who shall have access to relevant information and records of the municipality.";

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1A) The annual account of municipality will be certified by the auditors of the State Audit Department, Himachal Pradesh:

Provided that the audit of the accounts of municipality shall be conducted under the overall technical guidance and supervision of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh."; and

(c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The annual technical inspection report of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh as well as the annual report of the State Audit Department shall be placed before the State Legislature.".

53. Amendment of section 271.—In section 271 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, when on account of the reason that the whole of the municipal area of the Municipal Council is declared as a Municipal Corporation or its inclusion in the existing Municipal Corporation, the State Government shall, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), dissolve the Municipal Council from a date specified in the order.

(7) The Members of the Municipal Council(s) which has been dissolved under sub-section (6) shall vacate their offices from the date specified in the order of the Government.".

54. Amendment of section 304-A.—In section 304-A of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

55. Amendment of section 304-B.—In section 304-B of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

56. Amendment of section 304-C.—In section 304-C of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

57. Amendment of section 304-D.—In section 304-D of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

58. Amendment of section 304-E.—In section 304-E of the principal Act, in sub-section (2), for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

59. Amendment of section 304-F.—In section 304-F of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

60. Amendment of section 304-G.—In section 304-G of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two hundred and fifty rupees", the words "ten thousand rupees and with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.

61. Amendment of section 304-H.—In section 304-H of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both" the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

62. Amendment of section 304-I.—In section 304-I of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

63. Amendment of section 304-K.—In section 304-K of the principal Act, for the words and sign "imprisonment which may extend to three months, or with fine", the words and sign

"imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

64. Amendment of section 304-L.—In section 304-L of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.

65. Amendment of section 304-M.—In section 304-M of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

66. Amendment of section 304-N.—In section 304-N of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

67. Amendment of section 304-O.—In section 304-O of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

68. Amendment of section 304-Q.—In section 304-Q of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees fine with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues " shall be substituted.

69. Amendment of section 304-R.—In section 304-R of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the words "on Polling day", the words" and counting day" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1), after the words "conclusion of the poll", the words "and on the day of counting" shall be inserted;

(iii) in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

70. Amendment of section 304-S.—In section 304-S of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (a), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both" the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both", shall be substituted.

(b) in clause (b), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीला देवी

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व0 श्री गुलाबू राम, निवासी गांव रोपा राजपूतां, डाकघर जौड़े अम्ब, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पत्ति श्री गुलाबू राम व राम आसरी के परिवार में दिनांक 07–03–1967 को हुआ है, परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसका नाम व जम्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सचिव ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व0 श्री गुलाबू राम के नाम एवं जन्म तिथि 07–03–1967 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत / कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 25–03–2026 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व आवेदन–पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र ऋषि राम, वासी महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत मकफूद–उल–खबरी।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ऋषि राम, वासी महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, जोकि प्रार्थी का भाई है जो 23

वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ऋषि राम मजकूर के नाम महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसके लिए प्रार्थना–पत्र अनुसार आरजी उनके वारसन के नाम दर्ज कागजात माल की जानी है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एतराज हो या उसके जीवित होने बारे किसी को कोई जानकारी हो या श्री सुरेश कुमार जीवित है और इस इश्तहार को स्वयं पढ़े तो वह दिनांक 30–03–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा उक्त दिनांक के बाद इस इंतकाल को उसके उपरोक्त जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 06–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर(हि0प्र0)।

————————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री रत्तन चंद, वासी महाल मडहोट, तप्पा रांसडा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत मकफूद–उल–खबरी।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि श्री रत्तन चंद पुत्र श्री सीता राम, वासी महाल मडहोट, तप्पा रांसड़ा, जोकि प्रार्थिया का पति है जो 36 वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। प्रार्थिया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया है कि श्री रत्तन चंद पुत्र श्री सीता राम मजकूर के नाम महाल मडहोट, तप्पा रांसडा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसके लिए प्रार्थना–पत्र अनुसार अराजी उनके वारसन के नाम दर्ज कागजात माल की जानी है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एतराज हो या उसके जीवित होने बारे किसी को कोई जानकारी हो या श्री रत्तन चंद जीवित है और इस इश्तहार को स्वयं पढ़े तो वह दिनांक 30–03–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा इस तिथि के बाद इस इंतकाल को उसके उपरोक्त जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जायेगा उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 06–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर(हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Partap Singh

Versus

General Public

Notice to General Public.

Partap Singh s/o Sh. Munshi Ram, r/o Village Paplohal Brahmna, P.O. Dandwin, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur, H.P. has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 04-03-1963 but due to ignorance the same could not be entered in Gram Panchyat Dandwin. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if any person is having any objection regarding the date of birth of applicant which is 04-03-1963, they can file their objections either in writing or through their counsel with in a period of 30 days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the date of birth which is 04-03-1963 the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 03-03-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar, Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दडाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी
07 / 2026	इन्द्राज मृत्यु तिथि	05–03–2026	25–03–2026

श्रीमती मंगला देवी पुत्री धनिया उर्फ खोदलू, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी आदि।

श्रीमती मंगला देवी पुत्री धनिया उर्फ खोदलू, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों / रिकार्ड सहित इस

कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) जोकि उसके पिता थे और उनकी मृत्यु दिनांक 05–05–1962 को हुई थी, जो कि अज्ञानतवश सम्बंधित नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रार्थिया अपने पिता की मृत्यु तिथि की घटना का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की मृत्यु की घटना दिनांक 05–05–1962 का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 06–04–2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त प्रार्थिया के पिता की मृत्यु तिथि 05–05–1962 की घटना का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दडाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 821836 / 2026 तारीख मजरुआ : 27–02–2026 तारीख पेशी : 07–04–2026

श्री प्यार सिंह पुत्र श्री मंगल राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ... फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री प्यार सिंह पुत्र श्री मंगल राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत में दिनांक 27–02–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्यार सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल झराल में प्यार चन्द दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, नकल जमाबंदी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल झराल में प्रार्थी का नाम प्यार चन्द के स्थान पर प्यार चन्द उपनाम प्यार सिंह पुत्र श्री मंगत राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07–04–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 02–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 18–03–2026

स्वाति सूद पुत्री संजीव सूद पुत्र प्रीतिमा देवी, निवास विन्द्रावन वजरिया मुख्तयारे आम गोपाल दास पुत्र रतन लाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. आशीष पुत्र वृज वाला पुत्री मथरा दास, निवासी निचला मैंझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 342, खतौनी नं0 786 ता 789, खसरा कित्ता–5, रकबा तादादी 0–28–87 हैक्ट0, महाल निचला मैंझा, पटवार सर्कल मैंझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील :

प्रार्थिया स्वाति सूद पुत्री संजीव सूद पुत्र प्रीतिमा देवी, निवास विन्द्रावन वजरिया मुख्तयारे आम गोपाल दास पुत्र रतन लाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादी दिए पते पर नहीं रहता है। प्रार्थी ने प्रतिवादी का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्त्री मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्त्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18–03–2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 18–03–2026

श्री गोपाल दास पुत्र श्री रतन लाल पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. आशीष पुत्र वृज वाला पुत्री मथरा दास, निवासी निचला मैंझा, 2. विपुल सूद पुत्र कृष्णा पत्नी भूपिन्द कुमार उपनाम भूविन्द्र कुमार, 3. अशु दीक्षित पत्नी विपूल सूद पुत्री कृष्णा, 4. ईशिता सूद पुत्री कृष्णा पत्नी भूपिन्द कुमार उपनाम भूविन्द्र कुमार, निवासीयान घुग्गर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 338, खतौनी नं0 782, खसरा कित्ता–7, रकबा तादादी 0–34–12 हैक्ट0, महाल निचला मैंझा, पटवार सर्कल मैंझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील :

प्रार्थी श्री गोपाल दास पुत्र श्री रतन लाल पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्त्री मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्त्री मुनादी / राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18–03–2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमाः

कौशल्या देवी पुत्री पालू राम, वासी गांव बढ़ल ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया कौशल्या देवी पुत्री पालू राम, वासी गांव बढ़ल ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपनी जन्म तिथि जोकि 13–03–1955 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 35 / C/2025 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख तारीख पेशी : 17–03–2026

श्रीमती विजय कुमारी पुत्री श्री रसीलू राम, निवासी महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—भूमि खाता नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा नम्बर कित्ता–6, महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम दुरुस्त करवाने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी''

यह प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती विजय कुमारी पुत्री श्री रसीलू राम, निवासी महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल कमलोटा, मौजा कोहला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख भूमि खेबट नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा कित्ता–6 में उसका नाम नीनू पुत्री रसीलू राम दर्ज है, जो गलत दर्ज है। बाबत में उसका सही नाम विजय कुमारी पुत्री रसीलू राम है। अब प्रार्थिया अपना नाम महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख भूमि खेबट नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा कित्ता–6 में नीनू पुत्री रसीलू राम की बजाये विजय कुमारी पुत्री रसीलू राम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 17–03–2026 दोपहर 2.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना उजर / एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर

सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814456 / 2026 तारीख पेशी : 30–03–2026

राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम प्रशोतम दर्ज हो गया है जबकि मृत्यु प्रमाण–पत्र में उसके पिता का नाम प्रमोध सिंह दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम प्रमोध सिंह उपनाम प्रशोतम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–03–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी के राजस्व अभिलेख में प्रमोध सिंह उपनाम प्रशोतम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814457 / 2026 तारीख पेशी : 30–03–2026

प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम सुन्का दर्ज हो गया है जबकि मृत्यु प्रमाण–पत्र में उसके पिता का नाम सुन्का राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सुन्का राम उपनाम सुन्का दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–03–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी के राजस्व अभिलेख में सुन्का राम उपनाम सुन्का दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814458 / 2026 तारीख पेशी : 30–03–2026

धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) (मुख्तयारे आम–श्री राज सिंह)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके भाई का नाम राये सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार नकल में उसके भाई का नाम राज सिंह दर्ज है, जोकि उसके भाई का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण उसके भाई को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः

प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके भाई का नाम राज सिंह उपनाम राये सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30–03–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके भाई का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट के राजस्व अभिलेख में राज सिंह उपनाम राये सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री स्वरुप सिंह पुत्र गंगा राम, गांव सिहाल उपरली, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री स्वरुप सिंह पुत्र गंगा राम, गांव सिहाल उपरली, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र में स्वरुप सिंह पठानिया दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत महाल सिहाल उपरली के रिकार्ड में स्वरुप सिंह है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार स्वरूप सिंह की जगह स्वरुप सिंह पठानिया दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री हरिया पुत्र रामा, गांव वगडोली, डाकघर हौरी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री हरिया पुत्र रामा, गांव वगडोली, डाकघर हौरी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार नकल में हरि सिंह दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत महाल ठेहड के रिकार्ड में हरिया है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार हरिया की जगह हरिया उर्फ हरि सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री नवीन पठानिया पुत्र औकार सिंह, गांव घोली, डाकघर लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री नवीन पठानिया पुत्र औकार सिंह, गांव घोली, डाकघर लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, सर्विस रिकार्ड में नवीन पठानिया दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख, तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त फतेहपुर के रिकार्ड में नवीन सिंह है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार नवीन सिंह की जगह नवीन पठानिया दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे

असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री गगन सिंह पुत्र राज कुमार, गांव घलौर, डाकघर टकोली घिर्था, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री गगन सिंह पुत्र राज कुमार, गांव घलौर, डाकघर टकोली घिर्था, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व पंचायत रिकार्ड में गगन सिंह दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त झुम्व के रिकार्ड में गगन कुमार है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार गगन कुमार की जगह गगन सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172 104

मिसल नं0 : 803412 / 2026 तारीख मरजुआ : 26–02–2026

श्री बलवीर पुत्र ज्ञाननर, निवासी गांव उरनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्री बलवीर पुत्र ज्ञाननर, निवासी गांव उरनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र बराए अपने पिता का नाम दुरुस्त करने बारे पेश किया है। प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त उरनी के राजस्व अभिलेख उप–महाल कुटानो व राल्लसंथग में ज्ञानजोर दर्ज है, जबकि संलग्न दस्तावेज, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व नकल जमाबन्दी उप–महाल उरनी खास के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञाननर सही दर्ज है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त उरनी के उप–महाल कुटानो व राल्लसथग में ज्ञाननर दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त उरनी के उप–महाल कुटानो व राल्लसंथग में ज्ञानजोर पुत्र फुला सुख के बजाये ज्ञाननर उपनाम ज्ञान पुत्र फुला सुख दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172 104

मिसल नं0 : 803413 / 2026 तारीख मरजुआः 26–02–2026

श्री आर्दश नेगी सुपुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव उरनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्री आर्दश नेगी सुपुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव उरनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती करने बारे पेश किया है। प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त उरनी के राजस्व अभिलेख में आर्दश दर्ज है, जबकि उसका नाम संलग्न दस्तावेज, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया, मैट्रिक सर्टिफिकेट व आधार कार्ड में आर्दश नेगी सही दर्ज है। प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व

रिकार्ड पटवार वृत्त उसी के उप–महाल उरनी, कुटानो, राल्लसथग तथा युला खास में आर्दश नेगी दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त उरनी के उप–महाल उरनी खास, कुटानो, राल्लसंथग तथा युला खास में आर्दश पुत्र मोहन सिंह के बजाये आर्दश नेगी उपनाम आर्दश पुत्र मोहन सिंह दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104।

मुकद्दमा संख्याः 3 / B&D / 2026 तारीख रजुआ : 26–02–2026

दलीप कुमार पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी ग्राम सुरू, डाकघर कुट, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––उनवाद मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दलीप कुमार पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी ग्राम सुरू, डाकघर कुट, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-2032-33, दिनांक 21–02–2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपनी जन्म तिथि 03–06–1971 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में श्री दलीप कुमार की जन्म तिथि दिनांक 03–06–1971 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अंतर्गत श्री दलीप कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(इन्द्र सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172 104

मिसल नं0 : 803413 / 2026 तारीख मरजुआः 26–02–2026

श्रीमती सनम पति पत्नी स्व0 देवी सिंह, निवासी गांव व डाकघर रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्रीमती सनम पति पत्नी स्व0 देवी सिंह, निवासी गांव व डाकघर रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र बराए अपने पति का नाम दुरुस्त करने बारे पेश किया है। प्रार्थिया के पति का नाम पटवार वृत्त छोलतु के राजस्व अभिलेख उप–महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज दर्ज हैं जबकि संलग्न दस्तावेज नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व आधार कार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम देवी सिंह दर्ज है। मुताबिक प्रार्थना–पत्र व ब्यान हल्फिया तानजीन पुत्र अरज प्रार्थिया के पहले पति थे तथा देवी सिंह पुत्र सनम राम दूसरे पति थे जोकि हाल में दोनों मृत्यु पा चुके हैं। प्रार्थिया ने अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त छोलतु के उप–महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज के बजाए देवी सिंह पुत्र सनम राम दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त छोलतु के उप–महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज के बजाए देवी सिंह पुत्र सनम राम दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थिया के पति का नाम व वल्दीयत दुरुस्ती के आदेश पारित किया जावेगा। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

मुकद्दमा संख्याः 4 / B&D / 2026 तारीख रजुआ : 26–02–2026

रमीला पत्नी श्री राम प्रकाश, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

आवेदिका रमीला पत्नी श्री राम प्रकाश, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-872-73 दिनांक 19–01–2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका हिरा चन्द पुत्री देवी राम की पुत्री ने अपनी जन्म तिथि 15–01–1981 ग्राम पंचायत चगाव में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगाव के रिकार्ड में आवेदिका रमीला की जन्म तिथि दिनांक 15–01–1981 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश कर सकता है। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अंतर्गत रमीला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चगाव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(इन्द्र सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

मुकद्दमा संख्याः 6 / B&D / 2026 तारीख रजुआ : 26–02–2026

कृष्णा देवी पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर युला, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकरण बारे।

आवेदिका कृष्णा देवी पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर युला, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-1598-99, दिनांक 10–02–2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि 05–10–1973 ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में कृष्णा देवी की जन्म तिथि दिनांक 05–10–1973 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश कर सकता है। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अंतर्गत कृष्णा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(इन्द्र सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला 2 किन्नौर (हि0प्र0)–172 104।

मुकद्दमा संख्याः 7 / B&D / 2026 तारीख रजुआ : 26–02–2026

इतवा भगत पुत्र श्री जितिया भगत, निवासी पूनंग, डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

आवेदक इतवा भगत पुत्र श्री जितिया भगत, निवासी पूनंग, डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-1573-73, दिनांक 09–02–2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपनी पुत्रीयों सुनीता कुमारी जन्म तिथि 28–03–2007 व अनिता कुमारी की जन्म तिथि 11–03–2011 ग्राम पंचायत पूनग में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पूनग के रिकार्ड में प्रार्थी इतवा भगत की पुत्रीयों सुनीता कुमारी की जन्म तिथि दिनांक 28–03–2007 व अनीता कुमारी की जन्म तिथि दिनांक 11–03–2011 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज लिखित तौर पर अन्दर एक माह अथवा दिनांक 09–04–2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन इस अदालत में पेश करें, अन्यथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत श्री इतवा भगत की पुत्रीयों सुनीता कुमारी व अनीता कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूनंग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(इन्द्र सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, (नायब तहसीलदार) उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

मुकद्दमा संख्या 5 / B&D / 2026 तारीख रजुआ : 26–02–2026

विनोद तिर्की पुत्र श्री ईरूष तिर्की, गांव टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

आवेदक विनोद तिर्की पुत्र श्री ईरूष तिर्की हाल निवासी गांव पूनग, डाकघर व उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-892-93, दिनांक 20–02–2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपने पुत्र अनुज तिर्की की जन्म तिथि 09–01–2006 व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि 30–01–2010 ग्राम पंचायत पूनग में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पूनग के रिकार्ड में प्रार्थी विनोद तिर्की के पुत्र अनुज तिर्की की जन्म तिथि दिनांक 09–01–2006 व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि 30–01–2010 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज लिखित तौर पर अन्दर एक माह अथवा दिनांक 09–04–2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन इस अदालत में पेश करें, अन्यथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत श्री विनोद तिर्की के पुत्र अनुज तिर्की व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूनग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(इन्द्र सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Naras Devi d/o Sh. Salam Jeet, r/o Village Barara, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Smt. Naras Devi d/o Sh. Salam Jeet, r/o Village Barara, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of birth of his (22-09-1959) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Sharog Barara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Smt. Naras Devi d/o Sh. Salam Jeet they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 2nd March, 2026.

Seal. Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Grade-II Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Master Shreeyansh Thakur s/o Sh. Parveen Kumar, Village Kanda, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Master Shreeyansh Thakur s/o Sh. Parveen Kumar, Village Kanda, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter his date of birth (27-05-2013) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Arhal.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Master Shreeyansh Thakur s/o Sh. Parveen Kumar

they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 2nd March, 2026.

Seal. Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Grade-II Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Om Parkash s/o Sh. Jai Karan Das, r/o V.P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Om Parkash s/o Sh. Jai Karan Das, r/o V.P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of death of his mother Late Smt. Amri Devi (28-06-2003) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Arhal.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of Late Smt. Amri Devi (28-06-2003) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this March, 2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Randheer Singh s/o Sh. Inder Singh, r/o Village Kanda, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)

. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Randheer Singh s/o Sh. Inder Singh, r/o Village Kanda, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of death of his mother Late Smt. Fulmu Devi (13-01-2005) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Arhal.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of Late Smt. Fulmu Devi (13-01-2005) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this Feb, 2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Anita w/o Sh. Rakesh, r/o Village Tandali, P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Smt. Anita w/o Sh. Rakesh, r/o Village Tandali, P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of birth of her son Kshitij (12-06-2008) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Ukli Mehandli.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Kshitij they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 3rd March, 2026.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Findu Ram s/o Msh Jad, r/o Village & P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Findu Ram s/o sh Jad, r/o Village & P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of death of his mother Smt. Ujali (01-10-2004) in the record of Death Register of Gram Panchayat Kutara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of Smt. Ujali they should appear before the court of

undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 5th March, 2026.

Seal. Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Tinko Devi w/o Sh. Ajay Chauhan, r/o Village Kashmolta, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

PUBLIC NOTICE

Whereas, Smt. Tinko Devi w/o Sh. Ajay Chauhan, r/o Village Kashmolta, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of birth of her dughter Navya Rajpoot (14-09-2012) & Aanam Rajpoot (12-12-2015) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Katlah.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Navya Rajpoot & Aanam Rajpoot they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 5th March, 2026.

Seal. Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप–तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 16 / 13B / 2024 तारीख दायर : 17–10–2024

श्रीमती थुमची देवी पत्नी श्री तानी राम, निवासी गांव पलजारा, डाकघर बहाली, तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

यह आवेदन पत्र श्रीमती थुमची देवी पत्नी श्री तानी राम, निवासी गांव पलजारा, डाकघर बहाली, तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, हिमाचली प्रमाण–पत्र, बी0एल0 प्रमाण–पत्र, वोटर कार्ड व शपथ पत्र में उसका नाम थुमची देवी दर्ज है, जो सही दुरुस्त है। परन्तु आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम थूमकी दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। प्रार्थिया आधार कार्ड में अपना नाम थुमकी देवी के स्थान पर थूमची दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31–03–2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)

1. Sh. Vipul Kalia s/o Sh. Vinod Kumar Kalia, r/o Kalia Niwas, Vijay Nagar, Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh, Age 31 Years.

2. Ms. Manju d/o Sh. Inder Singh, r/o Village & Post Office Bhulswai, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh, Age 26 Years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Vipul Kalia s/o Sh. Vinod Kumar Kalia, r/o Kalia Niwas, Vijay Nagar, Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Ms. Manju d/o Sh. Inder Singh, r/o Village & Post Office Bhulswai, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 11-10-2025 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 07-03-2026.

Seal. Sd/-

Additional District Registrar of Marriages-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).

In the Court of the Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar,**
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

In the matter of:

Sh. Som Dutt s/o Sh. Kewal Ram, r/o Village & P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh ..*Applicant.*

Versus

General Public ..*Respondents.*

Proclamation regarding correction of name and date of birth.

Whereas, Sh. Som Dutt s/o Sh. Kewal Ram, r/o Village & P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith an affidavit before this court.

The applicant has stated that the name and date of birth of applicant's son & daughter have been incorrectly recorded in his Aadhar Card. However, as per the birth certificate and panchayat records their correct name recoded. In accordance with the Birth Certificate issued by the Sub-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh.

The detail of son & daughter are as under:—

Sl. No.	Name of the family members	Relationship with applicant	Wrong Name & Date of Birth	Correct Name & Date of Birth
1.	Sujal Sharma	Son	Sugal Sharma 12-04-2013	Sujal Sharma 01-06-2013
2.	Kajal Sharma	Daughter	Mahak 22-06-2015	Kajal Sharma 05-08-2015

Now therefore, objections, if any, are invited from the general public with regard to the correction of the name and date of birth of the applicants son & daughter.

Any person having any objection in this regard may appear before the undersigned on or before 02-04-2026, either personally or through a duly authorized agent or counsel. In case no objection is received within the stipulated period, the matter shall be decided *ex-parte* without any further opportunity of hearing and the correction shall be carried out accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court today, the 2nd day of March, 2026.

Seal

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

In The Court Of The Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar,**
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

In the matter of:

Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Prem Dutt, r/o Village Uchagarh, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh ..*Applicant.*

Versus

General Public ..*Respondents.*

Proclamation regarding correction of name and date of birth.

Whereas, Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Prem Dutt, r/o Village Uchagarh, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith an affidavit before this court.

The applicant has stated that the name of applicant's daughter have been incorrectly recorded in her Aadhar Card as Baby one of Kalpana. However, as per the birth certificate and panchayat records, her correct name recorded as Manvi Sharma, It is further stated Baby One of Kalpana and Manvi Sharma, refer to the same person, and that the correct name ought to be recorded in the Aadhar Card as Manvi Sharma daughter of Ravinder Kumar, in accordance with the Birth Certificate issued by the Sub-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now therefore, objections, if any, are invited from the general public with regard to the correction of the name of the applicant's daughter from Baby One of Kalpana to Manvi Sharma daughter of Ravinder Kumar.

Any person having any objection in this regard may appear before the undersigned on or before 27-03-2026, either personally or through a duly authorized agent or counsel. In case no objection is received within the stipulated period, the matter shall be decided *ex-parte* without any further opportunity of hearing and the correction shall be carried out accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court today, the 26th day of February, 2026.

Seal *Executive Magistrate*-cum-*Naib Tehsildar,*
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

In the Court of the Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

In the matter of:

Sh. Niharu Ram s/o Sh. Ramu, r/o Village Ahnog P.O. Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh ..*Applicant.*

Versus

General Public ..*Respondents.*

Proclamation regarding correction of name and date of birth.

Whereas, Sh. Niharu Ram s/o Sh. Ramu, r/o Village Ahnog P.O. Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh, has filed an application alongwith an affidavit before this court.

The applicant has stated that the name and date of birth of applicant's have been incorrectly recorded in his Aadhar Card as Natharu Ram and date of birth 01-01-1970. However, as per the birth certificate and panchayat records, his correct name recoded as Niharu Ram and his correct date of birth is 01-07-1965, It is further stated that Natharu Ram and Niharu Ram refer to the same person, and that the correct name and date of birth ought to be recorded in the Aadhar Card as Niharu Ram son of Ramu, in accordance with the Birth Certificate issued by the Sub-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Kothi-Ahnog, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now therefore, objections, if any, are invited from the general public with regard to the correction of the name of the applicant's from Natharu Ram to Niharu Ram son of Ramu, and the date of birth 01-01-1970 to 01-07-1965.

Any person having any objection in this regard may appear before the undersigned on or before 27-03-2026, either personally or through a duly authorized agent or counsel. In case no objection is received within the stipulated period, the matter shall be decided *ex-parte* without any further opportunity of hearing and the correction shall be carried out accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court today, the 26th day of February, 2026.

Seal *Executive Magistrate*-cum-*Naib Tehsildar,*
Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

विनियामीन पुत्र हुसैन अली, ग्राम निवासी दाछी / खिलार, डाकघर पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी विनियामीन पुत्र हुसैन अली, ग्राम निवासी दाछी / खिलार, डाकघर पौडिया, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है, तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	विनियामीन	स्वयं	11–04–1999

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पौडिया को उपरोक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि सम्बंधित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

मोहम्मद ताहिर पुत्र मोहम्मद युसूफ, निवासी ग्राम क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी मोहम्मद ताहिर पुत्र मोहम्मद युसूफ, निवासी ग्राम क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	अलीशा	पुत्री	22–04–2018

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएंगा।

आज दिनांक 16–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

विनियामीन पुत्र हुसैन अली, ग्राम निवासी दाछी / खिलार, डाकघर पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी विनियामीन पुत्र हुसैन अली, ग्राम निवासी दाछी / खिलार, डाकघर पौड़िया, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पौड़िया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौड़िया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	उस्मान	पुत्र	09–09–2020

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौड़िया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएंगा।

आज दिनांक 17–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री बलवीर, निवासी ग्राम टिपरोग, डाकघर भराणू, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री बलवीर, निवासी ग्राम टिपरोग, डाकघर भराणू, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत भराणू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थिया अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भराणू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	एनी	पुत्री	09–01–2012

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत भराणू को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएंगा।

आज दिनांक 09–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री यशपाल पुत्र श्री चन्द, ग्राम निवासी शावडा, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री यशपाल पुत्र श्री चन्द, ग्राम निवासी शावडा, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है, तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	यशपाल	स्वयं	28–03–1980

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत किरण को उपरोक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि सम्बंधित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सरेश, ग्राम निवासी भरटों, डाकघर बिजमल़, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.–– धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सरेश, ग्राम निवासी भरटों, डाकघर बिजमल़, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बिजमल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत बिजमल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	मनीष कुमार	स्वयं	03–11–2007

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत बिजमल को उपरोक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि सम्बंधित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री बालक राम, निवासी गांव डाहर, डाकघर व ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री बालक राम, निवासी गांव डाहर, डाकघर व ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 18–04–1982 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 18–04–1982 ग्राम पंचायत संगड़ाह में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री दौलतराम, निवासी बडवाना, डाकघर व ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री दौलतराम, निवासी बडवाना, डाकघर व ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01–01–2000 है, जोकि ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 01–01–2000 ग्राम पंचायत अंधेरी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी बनवानी, डाकघर सागना, ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी बनवानी, डाकघर सागना, ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01–05–1978 है, जोकि ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 01–05–1978 ग्राम पंचायत सताहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 07 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी गांव कशलोग, डाकघर अंधेरी, ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी गांव कशलोग, डाकघर अंधेरी, ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री तान्या की जन्म तिथि 13–12–2007 है, जोकि ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 13–12–2007 ग्राम पंचायत लुधियाना में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

Before Sh. Jas Pal, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Shillai, Sub Division Shillai, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of:

1. Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram, r/o Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.)

2. Kumari Khagisara d/o Sh. Sher Bahadur, r/o J.E. Building Lower Vikasnagar, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram, r/o Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) and Kumari Khagisara w/o Sh. Manoj Kumar and d/o Sh. Sher Bahadur, r/o J.E. Building Lower Vikasnagar, Distt. Shimla (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 29-09-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram and Kumari Khagisara d/o Sh. Sher Bahadur presently residing at Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, it will be presumed that is no objection to the registration of the above said marriage and registration of marriage will be done accordingly.

Issued under my hand and seal of this court on this 06th day of March, 2026.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate,
Shillai, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80282 / 2026 तारीख पेशी : 18–03–2026

श्री पारस पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गनोग, पो0 ओ0 बड़ग, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–– दरख्वास्त सेहत नाम वाका मौजा थाना खेगवा, पटवार वृत्त काकोग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री पारस पुत्र जीत सिंह, निवासी गनोग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है जिसके अनुसार उसकी माता का सहा नाम श्रीमती कमला देवी है तथा प्रार्थी ने अपनी माता का तमाम रिकार्ड मृत्यु प्रमाण–पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, दसवीं कक्षा प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, पेश किया है जिसमें प्रार्थी की माता का नाम कमला देवी है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा थाना खेगवा, पटवार वृत्त काकोग में सायल की

माता का नाम कला पुत्री मीना पुत्र मोहीराम दर्ज चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा थाना खेगवा के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 18–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की माता का सही नाम श्रीमती कमला देवी पुत्री मीना पुत्र मोहीराम, मौजा थाना खेगवा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 802812 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्री कॉशीराम पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, निवासी राईचा, पो0 ओ0 रेडली, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त सेहत नाम वाका मौजा लाना मशूर, पटवार वृत्त संगड़ाह, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री कॉशीराम पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, निवासी राईचा, पो0 ओ0 रेडली, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है जिसके अनुसार उसका सही नाम कॉशीराम पुत्र धर्म सिंह है तथा प्रार्थी ने अपना तमाम रिकार्ड परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र, बैंक पास बुक पेश किया है, जिसमें प्रार्थी का नाम कांशीराम है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा लाना मशूर पटवार वृत्त संगड़ाह में सायल का नाम कांसिया पुत्र धर्म सिंह दर्ज चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा लाना मशूर के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी का सही नाम श्री कॉशीराम पुत्र धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, मौजा लाना मशूर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80283 / 2026 तारीख पेशी : 28–03–2026

श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र कंठीराम, निवासी माईना, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त सेहत नाम वाका मौजा थाना खेगुवा, पटवार वृत्त काकोग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र कंठीराम, निवासी माईना, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है जिसके अनुसार उसका सही नाम मोहन लाल पुत्र संतराम है तथा प्रार्थी ने अपना तमाम रिकार्ड परिवार नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी पेश किया है, जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र संतराम है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा थाना खेगुवा पटवार वृत्त काकोग में सायल का नाम मैलाराम पुत्र श्री संतराम दर्ज चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा थाना खेगुवा के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 28–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी का सही नाम श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र कंठीराम, मौजा थाना खेगुवा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Dharam Pal son of Mr. Sunder Singh, r/o Village Kanauri (502), P.O. Nagali, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) and Mrs. Ridhima Singh w/o Mr. Dharam Pal and d/o Mr. Nathu Ram, r/o Village Kawagri, P.O. Shamti (616), Tehsil and District Solan (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 17-10-2021 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Dharam Pal and Mrs. Ridhima Singh were unmarried at the time of solemnization of their

marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Dharam Pal and Mrs. Ridhima Singh, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 2nd day of March, 2026.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum- *Sub-Divisional Magistrate,*
Solan, District Solan (H.P.).

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Gaurav son of Mr. Mahender Singh, r/o Village Jabal Rashesh, P.O. Bohli, District Solan (H.P.) and Mrs. Krishma w/o Mr. Gaurav and d/o Mr. Arvind Bahadur, r/o Village Kainthi Bhoj Nagar (888), Bhojnagar, Solan, Tehsil and District Solan (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 03-02-2026 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Gaurav and Mrs. Krishma were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Gaurav and Mrs. Krishma, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 2nd day of March, 2026.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum- *Sub-Divisional Magistrate,*
Solan, District Solan (H.P.).

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
05/Marriage/T/U/2026	विवाह पंजीकरण	11–02–2025	25–03–2026

श्री अवतार सिंह पुत्र सुख राम सिंह, निवासी गांव अरनियाला, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व नरिन्दर कौर पुत्री श्री मोहिंदर सिंह, निवासी मकान नं0 28, शर्मा स्टोर, वार्ड नं0–1, नंगल टाउनशिप, तहसील नंगल, जिला रूपनगर पंजाब।

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र.––शादी पंजीकरण शादी श्री अवतार सिंह पुत्र सुख राम सिंह, निवासी गांव अरनियाला, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार नरिन्दर कौर पुत्री श्री मोहिंदर सिंह, निवासी मकान नं0 28, शर्मा स्टोर, वार्ड नं0–1, नंगल टाउनशिप, तहसील नंगल, जिला रूपनगर पंजाब से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत लोअर अरनियाला के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत लोअर अरनियाला में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थीया ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 25–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, (H.P.)

In the matter of :—

1. Sh. Vishal aged 21 years s/o Sh. Kasturi Lal, r/o Village Chattehar, P.O. Bhaloun, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.)

2. Suhani Sharma aged 20 years d/o Sh. Ghanshyam, r/o Village Dolra, P.O. Sohan, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Vishal aged 21 years s/o Sh. Kasturi Lal, r/o Village Chattehar, P.O. Bhaloun, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) and Suhani Sharma aged 20 years d/o Sh. Ghanshyam, r/o Village Dolra, P.O. Sohan, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur (H.P.) through Councel Sh. Abhishek have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three month of calendar.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-03-2026. The objection recieved after 30-03-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26th day of February, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raman Chauhan s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Kandal, Tehsil Chopal, Up-Mahal Tikri, (153/1), Shimla (H.P.)-171 210 do hereby solemnly affirm and declare that I am the father and legal guardian of my minor daughter. That my daughter's name is currently recorded as Aanvi in her Aadhar Card and other documents. That I have changed her name from Aanvi to Anvi Chauhan for all future purposes, she shall be known and addressed only as Anvi Chauhan.

RAMAN CHAUHAN
s/o Sh. Sant Ram,
r/o Village Kandal, Tehsil Chopal,
Up-Mahal Tikri, (153/1), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narvada Thapa w/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Chopal, Ward No. 5, Tehsil Chopal, Shimla (H.P.)-171 211 do hereby solemnly affirm that I am the mother and legal guardian of my minor daughter, previously named Baby Two of Narvada (as per Aadhar Card). I have changed her name from Baby Two of Narvada to Avani. Henceforth, she shall be known and addressed as Avani for all leagal and official purpose.

NARVADA THAPA
w/o Sh. Rajender Singh,
r/o Village Chopal,
Ward No. 5,Tehsil Chopal, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Arun Kumar s/o Sh. Priya Vrat Sharma, House No. 20, P.O. Kandru, Tehsil Theog, Thathal (131), Shimla (H.P.)-171 212 do hereby declare that I am the father and legal guardian of my minor son. That my son's name is currently recorded as Prikshit Sharma in his Aadhar Card. I have changed his name from Prikshit Sharma to Parikshit in all future records and purposes, he shall be known as Parikshit.

ARUN KUMAR
s/o Sh. Priya Vrat Sharma,
House No. 20, P.O. Kandru,
Tehsil Theog, Thathal (131), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gian Singh s/o Sh. Nek Ram Thakur, r/o Village Shilru, P.O. Satog, Tehsil Theog, Shimla (H.P.)-171 209, do hereby declare that I am the father and legal guardian of my minor son. That my son's name is currently recorded as Baby Two of Nisha in her Aadhar Card. I have changed his name from Baby Two Nisha to Naksh Thakur. That in all future records and purposes, he shall be known as Naksh Thakur.

GIAN SINGH
s/o Sh. Nek Ram Thakur,
r/o Village Shilru, P.O. Satog,
Tehsil Theog, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shivani w/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Rohan, P.O. Rohan, Tehsil Palampur, Raura, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Swarni Devi is incorrect. Whereas my correct name is Shivani. Concerned note.

SHIVANI
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Village Rohan, P.O. Rohan,
Tehsil Palampur, Raura, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vikram s/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Kaila, P.O. Kiara, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)-171 213 do hereby solemnly affirm and declare as under. I am the father and legal guardian of my minor daughter. That my minor daughter was previously known by the name Baby of Suman (Old Name). That I have changed my minor daughter's name from Baby of Suman (Old Name) to Evana Lepta (New Name). That henceforth, my minor daughter shall be known, Addressed and called by the name Evana Lepta (New Name) for all intents and purposes.

VIKRAM
s/o Sh. Mohan Lal,
r/o Village Kaila, P.O. Kiara,
Tehsil Theog , District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manju w/o Sh. Suresh Verma, r/o Village Raog, Kiyara (178), P.O. Kiara, District Shimla (H.P.)-171 213 do hereby declare that I am the Mother and legal guardian of my minor son. That my son's name is currently recorded as Baby Two of Manju in his Aadhar Card. That I have changed her name from Baby Two of Manju to Aditya Verma. That in all future records and purposes, he shall be known as Aditya Verma.

MANJU
w/o Sh. Suresh Verma,
r/o Village Raog, Kiyara (178),
P.O. Kiara, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nitu Thakur w/o Sh. Naresh, r/o Village Maleog, Kiar (109), Shimla (H.P.)-171 220 do hereby solemnly affirm and declare as under that I am the mother and legal guardian of my minor daughter. That my minor daughter was previously known by the name Baby One of Nitu (as per her Old Aadhar Card). That I have changed my minor daughter's name from Baby One of Nitu to Manasvi. That henceforth, my minor daughter shall be known, Addressed and called by the name Manasvi for all intents and purposes.

NITU THAKUR
w/o Sh. Naresh,
r/o Village Maleog,
Kiar (109), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amit Kumar Kaushal s/o Sh. Dina Nath Kaushal, r/o Village Brahman Beli, P.O. Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my son's correct name is Tarun Kumar Kaushal. However, by mistake, Tarun Kaushal is written in his Aadhar Card. Both Tarun Kumar Kaushal and Tarun Kaushal are the names of the same person. Now, I want to get my son's name corrected to Tarun Kumar Kaushal in his Aadhar Card. All please note.

AMIT KUMAR KAUSHAL
s/o Sh. Dina Nath Kaushal,
r/o Village Brahman Beli, P.O. Khera,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raju Budha (New Name) s/o Sh. Tek Bhadur, Village Chathla, Chathla (128), Kotkhai, Shimla (H.P.)-171 202 declare that I have changed my name from Pradeep Kumar (Old Name) to Raju Budha (New Name). All concerned please may notice.

RAJU BUDHA
s/o Sh. Tek Bhadur,
Village Chathla, Chathla (128),
Kotkhai, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jassi w/o Sh. Jhamiya, r/o Village Dakkar, P.O. Kando Bhatnol, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby solemnly affirm that in Gram Panchayat Kando Bhatnol records my name is recorded as Jassi, which is correct. That in my Aadhar Card, my name is recorded as Jalsi, which is incorrect. That in my Aadhar Card, my name Jalsi be corrected and recorded as Jassi.

JASSI
w/o Sh. Jhamiya,
r/o Village Dakkar, P.O. Kando Bhatnol,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surmi Devi w/o Sh. Ran Singh, r/o Village Dubor, P.O. Timbi, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby solemnly affirm that in Gram Panchayat Ashyari records my name is recorded as Surmi Devi, which is correct. That in my Aadhar Card, my name is recorded as Surma Devi, which is incorrect. That in my Aadhar Card, my name Surma Devi be corrected and recorded as Surmi Devi.

SURMI DEVI
w/o Sh. Ran Singh,
r/o Village Dubor, P.O. Timbi,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Binta Devi w/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Dhelwana, P.O. Shillai, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby solemnly affirm that in Gram Panchayat Kuhant records my name is recorded as Binta Devi, which is correct. That in my Aadhar Card, my name is recorded as Vinita Devi, which is incorrect. That in my Aadhar Card, my name Vinita Devi be corrected and recorded as Binta Devi.

BINTA DEVI
w/o Sh. Rajender Singh,
r/o Village Dhelwana, P.O. Shillai,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Tanuja Sharma d/o Sh. Madan Singh, r/o Village Shillai, P.O. Shillai, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby solemnly affirm that in Gram Panchayat Shillai records my name is recorded as Tanuja Sharma, which is correct. That in my Aadhar Card, my name is recorded as Taneeja Sharma, which is incorrect. That in my Aadhar Card, my name Taneeja Sharma be corrected and recorded as Tanuja Sharma.

TANUJA SHARMA
d/o Sh. Madan Singh,
r/o Village Shillai, P.O. Shillai,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Singh s/o Late Baldev Singh aged about 45 years, r/o Village Dhar, P.O. Shakrah, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 014 declare that I have changed my son's name from Shivan Kanwar (Old Name) to Shivain Kanwar (New Name). All concerned please note.

KULDEEP SINGH
s/o Late Baldev Singh,
r/o Village Dhar, P.O. Shakrah,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 014.

CHANGE OF NAME

I, Shruti Thakur w/o Mishit, r/o Barog (2), Shimla (H.P.)-171 226 do hereby declare that I am the mother and legal guardian of my minor son. That my son's name currently recorded as Baby one of Shruti in his Aadhar Card. That I have changed his name from Baby one of Shruti to Lavish Chauhan. That in all future records and purposes, he shall be known as Lavish Chauhan.

SHRUTI THAKUR
w/o Mishit,
r/o Barog (2), Shimla (H.P.)-171 226.

CORRECTION OF NAME

I, Yogindra Singh s/o Sh. Gopal Singh Chauhan, r/o Jangal Deha (49), Dehabalson, Shimla (H.P.)-171 220 do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar Card, PAN Card, my name has been incorrectly recorded as Yogendra Singh Chauhan. That my actual and correct name is Yogindra Singh as per my educational certificates and other legal documents. That Yogendra Singh Chauhan and Yogindra Singh refer to the same person, which is myself. I request the concerned authorities to update my records and issue the corrected documents in the name of Yogindra Singh.

YOGINDRA SINGH
s/o Sh. Gopal Singh Chauhan,
r/o Jangal Deha (49), Dehabalson,
Shimla (H.P.)-171 220.

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumari d/o Onkar Singh & w/o Rajesh Chahota, Ward No. 11, Rajpur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Praveen Chahota to Praveen Kumari. All note it.

PRAVEEN KUMARI
d/o Onkar Singh & w/o Rajesh Chahota,
Ward No. 11, Rajpur,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dhani Ram Budhathoki s/o Sh. Man Bahadur, r/o P.O. Darkoti, Gajta (107), Darkoti, Shimla (H.P.)171 202 do hereby declare that I have changed my name from Dhani Ram to Dhani Ram Budhathoki for all future purposes. Henceforth, I shall be known by my new name for all intents and records. All concerned may please note.

DHANI RAM BUDHATHOKI
s/o Sh. Man Bahadur,
r/o P.O. Darkoti, Gajta (107),
Darkoti, Shimla (H.P.)171 202.

CHANGE OF NAME

I, Jagdish Sharma s/o Bala Nand, r/o Bharech (17), P.O. Himri, Distt. Shimla (H.P.)-171 202 do hereby Solemnly affirm and declare as under that I am the father and legal guardian of my minor son. That in his previous records, my son was recorded/named as Baby one of Guddi Devi. That I have changed my minor son's name from Baby one of Guddi Devi to Rudransh Sharma. That henceforth, my minor son shall be known, addressed and called by the name Rudransh Sharma for all future intents and purposes.

JAGDISH SHARMA
s/o Bala Nand,
r/o Bharech (17), P.O. Himri,
Distt. Shimla (H.P.)-171 202.

CORRECTION OF NAME

I, Savita Devi w/o Late Sh. Kapil, r/o Village Gawali, P.O. Gawali, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby solemnly affirm that in Gram Panchayat Gawali records name of my son is recorded as Aditya, which is correct. That in Aadhar Card, his name is recorded as Aditay, which is incorrect. That in his Aadhar Card, his name Aditay to be corrected and recorded as Aditya.

SAVITA DEVI
w/o Late Sh. Kapil,
r/o Village Gawali, P.O. Gawali,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nim Raj Khadka (New Name) s/o Shri Budhi Ram, r/o Village Tapri, P.O. Guma (8), District Shimla (H.P.)-171 202 declare that I have changed my name from Neem Raj (Old Name) to Nim Raj Khadka (New Name) for all future purposes. All concerned may please note.

NIM RAJ KHADKA
s/o Shri Budhi Ram,
r/o Village Tapri, P.O. Guma (8),
District Shimla (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Nim Raj Dangi (New Name) s/o Tul Bahadur, Guma (8), Shimla (H.P.)-171 202 declare that I have changed my name from Neem Raj (Old Name) to Nim Raj Dangi (New Name) for all future purposes. All concerned may please note.

NIM RAJ DANGI
s/o Tul Bahadur, Guma (8),
Shimla (H.P.)-171 202.

CORRECTION OF NAME

I, Mathura w/o Shri Mast Ram, r/o Village Gawahi, Tehsil Theog, Bagon Sandhu (152), Shimla, Sandhu (H.P.)-171 222 hereby declare that the name of my minor son has been incorrectly recorded as "Rishu" in his Aadhar Card. The corrrect name of my son is "Rishul". Henceforth, he shall be known as Rishul for all purposes and records.

MATHURA
w/o Shri Mast Ram,
r/o Village Gawahi,
Tehsil Theog, Bagon Sandhu (152),
Shimla, Sandhu (H.P.)-171 222.

CHANGE OF NAME

I, Dhani Ram s/o Shri Man Bahadur, r/o Post Office Darkoti, Gajta (107), Darkoti, Shimla (H.P.)-171 202 do hereby solemnly affirm and declare that I am the father and natural guardian of my minor son who has previously recorded in documents as Baby of Geeta Devi. I have changed his name from Baby of Geeta Devi to Vihaan Budhathoki. In all future records, documents and dealings, he shall be known and addressed by his new name Vihaan Budhathoki.

DHANI RAM
s/o Shri Man Bahadur,
r/o Post Office Darkoti, Gajta (107),
Darkoti, Shimla (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Lal Babu s/o Sh. Kishan Manjhi, r/o Jamta Niwas, GSSS Mehli, Distt. Shimla (H.P.)-171 013 declare that I have changed my minor daughter's name from Yashita (Previous Name) to Yashvanshika Saanvi (New Name). All concerned please may note.

LAL BABU
s/o Sh. Kishan Manjhi,
r/o Jamta Niwas, GSSS Mehli,
Distt. Shimla (H.P.)-171 013.

CHANGE OF NAME

I, Hemraj Thakur s/o Sh. Tek Chand, r/o 39 Aulla, Narbad, Sai Kothi (334), P.O. Seikothi, Distt. Chamba (H.P.)-176 316 declare that I have changed my name from Hem Raj (Old Name) to Hemraj Thakur (New Name). All concerned please may note.

HEMRAJ THAKUR
s/o Sh. Tek Chand,
r/o 39 Aulla, Narbad, Sai Kothi (334),
P.O. Seikothi, Distt. Chamba (H.P.)-176 316.

CORRECTION OF NAME

I, Subidha Devi w/o Sh. Surinder Kumar, r/o V.P.O. & Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing No. 4413 8642 6215 my name is wrongly entered as Subda Devi which should be corrected as Subidha Devi. Please correct this.

SUBIDHA DEVI
w/o Sh. Surinder Kumar,
r/o V.P.O. & Tehsil Bharmour,
Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kanchano Devi w/o Sh. Jarsand, r/o Ward No. 4, Village Changuie, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.)-176 309 declare that in Aadhar Card bearing No. 2277 2789 6979 my name is wrongly entered as Kanchana Devi, which should be corrected as Kanchano Devi. Please correct this.

KANCHANO DEVI
w/o Sh. Jarsand,
r/o Ward No. 4, Village Changuie, P.O. Khani,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.)-176 309.

CHANGE OF NAME

I, Jagtamba Devi w/o Shri Partap Chand, r/o Village Paniru, P.O. Bag, Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Jagtambi Devi to Jagtamba Devi. Concerned note.

JAGTAMBA DEVI
w/o Shri Partap Chand,
r/o Village Paniru, P.O. Bag,
Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roshan Lal s/o Roop Lal, r/o Thathal (131), Shimla (H.P.)-171 212 do hereby solemnly affirm and declare that I am the father and legal guardian of my minor daughter. My minor daughter was previously known by the name Baby (Aadhar Card Name). I have changed my minor daughter's name from Baby (Aadhar Card Name) to Vaanya Bhandari (New Name). Henceforth, my minor daughter shall be known, addressed and called by the name as Vaanya Bhandari (New Name) for all intents and purposes.

ROSHAN LAL
s/o Roop Lal,
r/o Thathal (131), Shimla (H.P.)-171 212.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।